प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

सेवा में,

अपर निदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
आगरा, अलीगढ़, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, फैजाबाद, कानपुर, लखनऊ, चित्रकूट, झांसी, आजमगढ़, इलाहाबाद, बस्ती, देवीपाटन, गोरखपुर, मिर्जापुर एवं वाराणसी।

पत्र संख्या–प्रशि0प्रको0 / 4472 लखनऊ : दिनांक-8/06/2016

विषय–पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त से दो माह पूर्व विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों को 65 वर्ष तक पुनर्योजन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की अत्यधिक कमी को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों को सेवानिवृत्त के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन किये जाने सम्बन्धित चिकित्सा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–157/सेक–2–पांच–14– 7(255)/2013, दिनांक 13.01.2014 के द्वारा पुनर्योजन का प्राविधान किया गया हैं, अभी भी पर्याप्त मात्रा में विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में आप से अपेक्षा की जाती है, कि अपने मण्डल के अधीन समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका महिला एवं अन्य चिकित्सालयों में तैनात सेवानिवृत्त से दो माह पूर्व/सेवानिवृत्त विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारियों को पुनर्योजित किये जाने के सम्बन्ध में अपने मण्डलों के दो लोक प्रिय समाचार पत्रों में (एक हिन्दी एक अंग्रेजी एक दिवस) हेतु निम्नानुसार प्रकाशित करायें तथा प्रकाशित किये जाने के उपरान्त प्रकाशन की कटिंग सहित इस महानिदेशालय को उपलब्ध करायें। इस आशय की सूचना अपने मण्डल के समस्त चिकित्सालयों एवं सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 को भी प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

प्रकाशित कराये जाने हेतु

"विभाग में विभिन्न जनपदों से विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता है, विशेषज्ञ पदों पर पुनर्योजन के इच्छूक पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के सेवा निवृत्त/सेवानिवृत्त से दो माह पूर्व 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन किये जाने हेतु निर्धारित प्रोफार्मा पर आवेदन पत्र भर कर समस्त संलग्नकों सहित हार्ड कॉपी/ई–मेल आईडी संख्या–dgtraning@gmail.com पर स्वास्थ्य महानिदेशालय के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ में उपलब्ध करायें। उपरोक्त के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एवं सम्बन्धित शासनादेश विभागीय वेबसाइट http://uphealth.up.nic.in पर उपलब्ध है।"

भवदीय,

निदेशक (प्रशिक्षण)

पत्रांकः प्रशि0प्रको0 / तददिनांक।

प्रतिलिपि–महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशिक्षण)

D:\All-Letter-2016\June 2016\Tiwari\Letter.doc 11